न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या:— दावा संख्या (69/1991)(54/04) 12/2018

निर्णय दिनांक :— 12-7-2019

"स्वर्गीय" गुणीराम दत्तक पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी राजलदेसर त. रतनगढ

1/1 पीरूराम
1/2 कीरताराम
1/3 नेमाराम
1/4 लिखमाराम
1/5 कानाराम

} पुत्रगण स्वर्गीय गुणीराम जाति मेघवाल निवासीगण राजलदेसर तहसील रतनगढ जिला चूरू

1/6 श्रीमती केशर पुत्री स्व. गुणीराम पत्नी शेराराम जाति मेघवाल निवासी बरड़ासर तहसील सरदारशहर

1/7 श्रीमती मीरा पुत्री स्व. गुणीराम पत्नी बीरूराम जाति मेघवाल निवासी सुजानगढ

1/8 श्रीमती शान्ति पुत्री स्व. गुणीराम धर्मपत्नी भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी दड़िबा तहसील बीदासर

1/9 श्रीमती अन्ना पुत्री स्व. गुणीराम पत्नी परतुराम जाति मेघवाल निवासी बीदासर

1/10 श्रीमती नानू पुत्री स्व. गुणीराम पत्नी सोहनराम जाति मेघवाल निवासी मोमासर तह. डूंगरगढ जिला बीकानेर

... वादीगण

बनाम

1. घासीराम पुत्र भींवाराम जाति मेघवाल निवासी राजलदेसर तह. रतनगढ जिला चूरू
2. स्वर्गीय आदूराम पुत्र भींवाराम जाति मेघवाल निवासी राजलदेसर त. रतनगढ

2/1 श्रीमती उदी बेवा पत्नी स्व आदूराम
2/2 नोरतमल
2/3 गोमाराम उर्फ गोविन्दराम
2/4 गीधाराम

} पुत्रगण स्व. आदूराम मेघवाल

2/5 श्रीमती सरोज बेवा स्व. दानाराम पुत्र आदूराम मेघवाल निवासी राजलदेसर तहसील रतनगढ जिला चूरू

3. स्वर्गीय मांगीलाल पुत्र गोपालराम जाति मेघवाल निवासी राजलदेसर त. रतनगढ

3/1 श्रीमती मोहनी बेवा स्व. मांगीलाल पुत्र आदूराम जाति मेघवाल निवासी परसनेउ तहसील रतनगढ
3/2 भागीरथ
3/3 सावराराम
3/4 औमप्रकाश पुत्रगण स्व. मांगीलाल जाति मेघवाल निवासीगण राजलदेसर

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

4. मोगाराम पुत्र गोपालराम जाति मेघवाल निवासी राजलदेसर तह. रतनगढ
5. स्वर्गीय भीखाराम पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी राजलदेसर तहसील रतनगढ
   स्व. 05/1 श्रीमती नोजा देवा पत्नी स्व. भीखाराम पुत्र धन्नाराम
   5/2 सालूराम
   5/3 चोखाराम
   5/4 गीधाराम
   5/5 नानूराम उर्फ श्रवणराम पुत्रगण स्व. भीखाराम पुत्र धन्नाराम मेघवाल नि.गण राजलदेसर तहसील रतनगढ
6. स्वर्गीय शंकरराम पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी राजलदेसर त. रतनगढ
   6/1 श्रीमती केशर देवा स्व. शंकरराम पुत्र सांवताराम
   6/2 भंवरलाल उर्फ भंवराराम
   6/3 सीताराम
   6/4 मोहनराम पुत्रगण स्व शंकरराम पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी राजलदेसर तहसील रतनगढ
7. पन्नाराम पुत्र सांवताराम जाति मेघवाल निवासी राजलदेसर तहसील रतनगढ –चूरू
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

...प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार ठठेरा, अभिभाषक वादीगण
2. श्री कमलकान्त शर्मा अभिभाषक प्रतिवादीगण
3. पैरोकार राज

दावा विभाजन अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादीनी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत घोषणात्मक एवं चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ती हेतु दिनांक 18.7.1991 को प्रस्तुत किया गया था व अदम पैरवी में खारिज होने के बाद दिनांक 21.3.2018 को पुनःसंख्यारूढ किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. दावा वादी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण संख्या 1/1 से 1/10 के पिता स्वर्गीय गुणीराम को नत्थूराम पुत्र कुशालाराम ने बचपन में गोद लिया था तथा अपने पास पुत्रवत रखा। वादी स्वर्गीय गुणीराम नत्थूराम का दत्तक पुत्र है। खोलेनामा की तस्दीक के रूप में बिरादरी के सामने बही में

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

लिखा पढी की थी। नत्थूराम व सोनादेवी के मृत्यु पर समस्त कियाकर्म वादी स्व. गुणीराम ने किए थे।

3. वादीगण सं. 1/1 से 1/10 के पिता स्व. गुणीराम का खेत ख.नं. 1600 तादादी 20 बीघा 02 विश्वा, ख.नं. 1601 तादादी 19 बीघा 04 विश्वा, ख.नं. 1602 तादादी 16 बीघा 03 विश्वा व ख.नं. 1627 तादादी 25 बीघा 04 विश्वा व ख.नं. 1498 तादादी 31 बीघा 14 विश्वा में 3/4 हिस्सा रोही कस्बा राजलदेसर में खातेदार होगया व काश्त करता चला आ रहा है। ख.नं. 1498 में वादीगण की बारहमासी ढाणी बनी हुई है। वादीगण अगुणा हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 आथूणा हिस्सा काश्त करते है।
4. वादीगण सं. 1/1 से 1/10 के पिता स्व. गुणीराम ने राजस्व कर्मचारियों से खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया परन्तु उन्होने दर्ज नही किया। वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है।
5. वादगत खेतों पर वादीगण के पिता स्व. गुणीराम का गत 50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया धमकी दी जा रही है कि वो खेत में कब्जा काश्त नही करने देगें। वोह वादीगण को बेदखल कर देगें। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा वर्जित किया जावे।
6. वादीगण सं. 1/1 से 1/10 के पिता स्व. गुणीराम ने दिनांक 15.7.1991 को आपसी तौर पर खातेदारी दर्ज कराने का कहा परन्तु प्रतिवादीगण इन्कार हो गये। यही दावा का कारण है । वादीगण को स्वर्गीय नत्थूराम के जीवनकाल से खोलायत पुत्र होने से वादाधार प्राप्त है। वादी गुणीराम का देहान्त दिनांक 9.2.2002 को हो गया है इसलिए वादीगण 1/1 से 1/10 को वाद चलाने का कानूनी अधिकार है।
7. वादगत खेत कस्बा राजलदेसर की रोही में स्थित होने से न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है।
8. अतः वादगत खेत ख.नं. 1600 तादादी 20 बीघा 02 विश्वा, ख.नं. 1601 तादादी 19 बीघा 04 विश्वा, ख.नं. 1602 तादादी 16 बीघा 03 विश्वा व ख.नं. 1627 तादादी 25 बीघा 04 विश्वा व ख.नं. 1498 तादादी 31 बीघा 14 विश्वा में 3/4

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

हिस्सा पूर्वी ओर की भूमि रोही कस्बा राजलदेसर का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

9. प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वोह वादीगण की वादगत भूमि में प्रवेश न करें तथा कब्जा काश्त में बाधा न देवें।

10. वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 29.6.2018 को न्यायालय में स्वयं व जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया।

11. राजीनामा के अनुसार पक्षकारान ने खेत ख.नं. 1498 तादादी 31 बीघा 14 विश्वा में से 3/4 हिस्सा पूर्वी ओर की 23 बीघा 14 विश्वा वादीगण 1/1 से 1/10 के हिस्से में शेष 1/4 हिस्सा जो भींवला पुत्र आसु के नाम दर्ज है, की 08 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 घासीराम पुत्र भींवाराम व स्व. आदुराम पुत्र भींवाराम प्रति. सं. 2 के वारिसान 2/1 से 2/5 के हिस्से में रखी गई है। राजीनामा में खेत ख.नं. 1627 तादादी तादादी 25 बीघा 04 विश्वा भूमि रोही राजलदेसर घासीराम प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में रखना व ख.नं. 1498 के 1/4 हिस्से में घासीराम द्वारा अपना हिस्सा नही रखने का कहते हुए 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2/1 से 2/5 को देने का अंकन किया गया है। वादीगण की ओर से वादी सं. 1/6 से 1/10 जो वादीगण 1 ता 5 की बहिने है, के हिस्से की भूमि भी वादीगण के नाम दर्ज करने की भी इस्तदुआ राजीनामा में की गई है।

12. वादी नेमाराम की ओर से मुख्य शपथ पत्र स्वयं का प्रस्तुत किया गया है तथा वादीगण की ओर से नकल जमाबन्दी सम्वत 2045 ख.नं. 1600, 1601, 1602 व 1627 प्रदर्श–1, जमाबन्दी ख.नं. 1498 प्रदर्श–2, रसीदों की सत्यप्रतियां प्रदर्श 3ए से 18 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र गुणीराम दिनांक 11.2.2002 प्रदर्श 19ए, पजींयन शुल्क रसीद प्रदर्श 20, खोलानामा लिखित प्रदर्श 21ए, प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया ।

13. बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण व प्रतिवादीगण एवं पैरोकार राज सुनी गई। उभय पक्ष विद्वान अभिभाषकगण का कथन है कि राजीनामा के अनुसार दावा डिकी फरमाया जावे। पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी प्रदर्श–1 सं. 2045 के अनुसार ख.नं. 1600,

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

1601, 1602 व 1627 कुल तादादी 80 बीघा 13 विश्वा रोही ग्राम राजलदेसर की भूमि मु. सोना बेवा नत्थूराम मेघंवशी के नाम से दर्ज है तथा प्रदर्श 2 में अकिंत ख.नं. 1498 तादादी 31 बीघा 14 विश्वा में से 3/4 हिस्सा मु. सोना बेवा नत्थू के नाम व शेष 1/4 हिस्सा भींवाराम के वारिसान के नाम से दर्ज है।

14. वादीगण का कथन है कि स्व. गुणीराम को नत्थूराम द्वारा अपने जीवनकाल में गोद लिया था तथा बही में दिनांक 29.2.62 को इसका बिरादरी के सामने अकंन किया गया था। गोदनामा के दस्तावेज की लिखित को न्यायालय द्वारा दिनांक 5.3.1997 को साक्ष में ग्रहण कर लिया गया था। राजीनामा में प्रतिवादीगण को भी वादीगण के पिता स्व. गुणीराम के नत्थूराम का गोदपुत्र होने पर कोई आपति नही है। इस प्रकार वादीगण 1/1 से 1/10 गोदपुत्र के रूप में स्व. नत्थूराम के हिस्से के वादगत ख.नं. 1600, 1601, 1602 व 1627 कुल तादादी 80 बीघा 13 विश्वा रोही ग्राम राजलदेसर तथा ख.नं. 1498 तादादी 31 बीघा 14 विश्वा में से 3/4 हिस्सा की भूमि में खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है व शेष 1/4 हिस्सा भींवाराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 1 व 2/1 से 2/5 के नाम से पहले से दर्ज है। राजीनामा में वादीगण के हिस्से में ख.नं. 1498 की 3/4 हिस्सा भूमि पूर्वी ओर की तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2/1 से 2/5 के हिस्से में पश्चिमी ओर की 1/4 हिस्सा की भूमि रखने की इस्तदुआ की गई है।

15. राजीनामा में खेत ख.नं. 1627 तादादी तादादी 25 बीघा 04 विश्वा भूमि रोही राजलदेसर घासीराम प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में रखना व ख.नं. 1498 के 1/4 हिस्से में घासीराम द्वारा अपना हिस्सा नही रखने का कहते हुए 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2/1 से 2/5 को देने का अंकन किया गया है। वादीगण की ओर से वादी सं. 1/6 से 1/10 जो वादीगण 1 ता 5 की बहिने है, के हिस्से की भूमि भी वादीगण के नाम दर्ज करने की इस्तदुआ की गई है।

राजस्व रेकार्ड के अनुसार ख.नं. 1627 मु. सोना बेवा नत्थू के दर्ज रहा है तथा गोदनामा के आधार पर इस खसरे की भूमि में वादीगण के अधिकार ही उत्पन्न होते है। प्रतिवादी सं. 1 को दावे के जरिये वादगत ख.नं. 1627 का खातेदार घोषित नही किया जा सकता क्यों कि इससे पंजीयन शुल्क की हानी

अधिवक्ता

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

होगी। इसी प्रकार प्रति. सं. 1 घासीराम द्वारा ख.न. 1498 में 1/4 हिस्सा में से अपने हिस्से की भूमि प्रति. सं. 2/1 से 2/5 को छोड़ने का जो अकंन किया गया है तथा वादीगण द्वारा अपनी बहिनों वादी सं. 1/6 से 1/10 हिस्सा को भी वादीगण के नाम अकिंत करने की इस्तदुआ की गई है, एक सह खातेदार द्वारा अपना हिस्सा विधिवत रूप से परित्याग किया जा सकता है। वादी सं. 1/6 से 1/10 राजीनामा के समय न्यायालय में उपस्थित भी नही हुई है। इसलिए दावे के जरिये इनकी इस्तदुआ स्वीकार योग्य नही है। इस प्रकार पक्षकारान की ओरसे प्रस्तुत राजीनामा आशिंक रूप से स्वीकार योग्य है तथा दावा वादीगण गोदनामा एवं राजीनामा के आधार पर डिकी योग्य है।

आदेश

दावा वादीगण डिकी किया जाता है। वादीगण सं. 1/1 से 1/10 को वादगत ख.नं. 1600, 1601, 1602 व 1627 कुल तादादी 80 बीघा 13 विश्वा रोही ग्राम राजलदेसर तथा ख.नं. 1498 तादादी 31 बीघा 14 विश्वा रोही राजलदेसर में से 3/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा राजीनामा के अनुसार वादीगण के हिस्से में ख.नं. 1498 की 3/4 हिस्सा की भूमि पूर्वी ओर की तथा प्रतिवादी सं. 1 घासीराम व प्रतिवादी सं. 2/1 से 2/5 के हिस्सा में शेष 1/4 हिस्सा पश्चिमी ओर की भूमि रखी जाती है। प्रतिवादीगण को जरिये चिर निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलदांजी नही करें। पर्चा डिकी जारी हो। डिकी की पालना हेतु तहसीलदार, रतनगढ को अलग से आदेश भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 12.7.2019 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'- 1)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम रतनगढ़

इजलास श्रीमती अर्पिता सोनी आर० ए० एस०

पूर्णाराम वगै० बनाम धर्माराम वगै०

दावा बाबत धारा 88 व 188 रा० का० अधि० 1955

मुकदमा नं. (69/91) (सं० 54/04) 12/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री मनोज कुमार एडवो० मिनजानिब मुद्दई व श्री मदन लाल शर्मा ए० राज्य मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। वादीगण का 1/1 नि 1/10 को बाहद्दगत खसरा नं० 1600, 1601, 1602 व 1627 कुल तादादी 80 बीघा 13 बिस्वा रोही ग्राम राजलदेसर तथा खसरा नं० 1498 तादादी 31 बीघा 14 बिस्वा रोही राजलदेसर में से 3/4

निज .... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 7 20 19 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उप खण्ड अधिकारी

ओहदा रतनगढ़ (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			......		
मीजान......			मीजान......		

नोट– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

हिस्सा भूमि का खातेदार सारस्वत घोषित किया जाता है तथा राजीनामा के मदुन्न वादीगण के हिस्से में ख० नं० 1498 की 3/4 हिस्सा की भूमि पूर्वी और खतिया प्रतिवादी सं 1 धर्मीराम व प्रतिवादी सं० 2/1 से 2/5 के हिस्सा में शेष 1/4 हिस्सा पश्चिमी छोर की भूमि रखी जाती है। प्रतिवादीगण को उक्त स्थिर निषेधाज्ञा से वंचित किया जाता है कि वादीगण के मकबूजा काश्त में किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करें।

सा/-

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रतनगढ़ (जिला चूरू) राज०

Scanned by CamScanner